न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
186/2025

दायर दिनांक
21.04.2025

निर्णय दिनांक
10.06.2025

1. मधु पत्नी प्रतापसिंह देवडा राजपुत निवासी गांधीनगर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा।

—— प्रार्थीया

बनाम

1. घीसा पुत्र लालु जाट निवासी ढेलाणा तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा राजस्थान।
2. गौरी पत्नी रामलाल जाट निवासी ढेलाणा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा राजस्थान।
3. प्रेम पानी मांगीलाल जाट निवासी ढेलाणा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा राजस्थान।
4. नोजी पत्नी नारायण जाट निवासी बेलाणा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा राजस्थान।
5. रामलाल पुत्र नारायण जाट निवासी ढेलाणा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
6. भीमा पुत्र नारायण जाट निवासी ढेलाणा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा राजस्थान।
7. धीसा पुत्र हजारी खाती निवासी ढेलाणा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा राजस्थान।
8. अमरसिंह पुत्र गुलाबसिंह भण्डारी निवासी भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाडा।
9. राजस्थान राज्य जरीये नायब तहसीलदार बडलियास जिला भीलवाडा।

—— विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी श्री मदन लाल व्यास उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ढेलाणा पटवार हल्का सवाईपुर भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सवाईपुर तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा मे दर्ज है प्रार्थीया के खातेदारी हक अधिकारो की कृषि भूमि स्थित खाता संख्या 156 की आराजी संख्या 296/190 रकबा 0.2700 हेक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.2700 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीया उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नहीं। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीर्या द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीया अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीया उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः नायब तहसीलदार बडलियास को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम ढेलाणा पटवार हल्का सवाईपुर भूअभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सवाईपुर तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 296/190 रकबा 0.2700 हेक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.2700 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु नायब तहसीलदार बडलियास को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीया से मौके पर प्राप्त करे। नायब तहसीलदार बडलियास को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा